

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के सामने, केन्द्रीय पौधशाला, भरतपुर - 321001 (राज.)

फोन : 05644-226017, 227518 ई-मेल : ccf.bhp.forest@rajasthan.gov.in

क्रमांक एफ () 2022-23/एफसीए/मुवसभ/6679

दिनांक 11-10-2022

निमित्त,

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी,
एफ.सी.ए., राज. जयपुर।

विषय:- Diversion of 0.99 ha. Forest land in favour of Public Work Department, Dausa for Construction of Missing Link Road from Udaipura Road to Toda Bheem Road. Online Proposal No. FP/RJ/ROAD/26222/2017)

संदर्भ:-राजस्थान सरकार, वन विभाग का आक्षेप पत्र दिनांक 28 नवम्बर, 2021 व उप वन संरक्षक, करौली का पत्रांक 6086 दिनांक 27.09.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्थान सरकार के संदर्भित से प्राप्त आक्षेपों की पूर्ति उप वन संरक्षक, करौली द्वारा संदर्भित पत्र से निम्नानुसार कर इस कार्यालय को प्रस्ताव प्रेषित किया है :-

S.No.	Stipulated EDS	Compliance
1.	उक्त प्रस्ताव में उप वन संरक्षक, करौली एवं मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर की अभिशंषा/टिप्पणी संलग्न नहीं की गयी है। पूर्ण प्रस्ताव भिजवावें।	उक्त प्रस्ताव में उप वन संरक्षक, करौली द्वारा अभिशंषा संलग्न कर दी गयी है एवं मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर की अभिशंषा/टिप्पणी दिनांक 11.07.2018 को की जाकर ऑनलाईन व आफलाईन संलग्न कर दी गयी थी। प्रति पुनः संलग्न।
2	उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में वैकल्पिक मार्ग की अण्डरटेकिंग नहीं है।	प्रस्ताव के सम्बन्ध में वैकल्पिक मार्ग की अण्डरटेकिंग यूजर एजेन्सी/उप वन संरक्षक, करौली द्वारा संलग्न कर दी गयी है।
3	जिला कलक्टर, दौसा द्वारा जारी एफआरए सर्टिफिकेट की मूल प्रति एवं जिला कलक्टर, करौली द्वारा जारी किये जाने वाले एफआरए सर्टिफिकेट के सम्बन्ध में टिप्पणी/अण्डरटेकिंग भिजवाने का श्रम करावें।	जिला कलक्टर, करौली द्वारा जारी किये जाने वाले एफआरए सर्टिफिकेट के सम्बन्ध में यूजर एजेन्सी द्वारा अण्डरटेकिंग संलग्न कर दी गयी है।
4	Statement show detail of Non-Forest के सम्बन्ध में प्रस्तुत रिपोर्ट को दुरुस्त कर भिजवाने का श्रम करावें।	Statement show detail of Non-Forest के सम्बन्ध में प्रस्तुत रिपोर्ट को दुरुस्त कर यूजर एजेन्सी/उप वन संरक्षक, करौली द्वारा संलग्न कर दिया गया है।

5	प्रस्ताव में के.एम.एल. फाईल की सी.डी. संलग्न नहीं है।	प्रस्ताव में के.एम.एल. फाईल की सी.डी. संलग्न कर दी गयी है।
6	प्रस्ताव में निरीक्षण रिपोर्ट लगभग 3 वर्ष पुरानी है। कृपया नवीन निरीक्षण रिपोर्ट भिजवाने का श्रम करावें।	प्रस्ताव में उप वन संरक्षक, करौली द्वारा दिनांक 27.09.2022 को निरीक्षण किया जाकर नवीन निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न कर दी गयी है।
7	No Violation Certificate की प्रति संलग्न कर भिजवाने का श्रम करावें।	No Violation Certificate की प्रति उप वन संरक्षक, करौली द्वारा संलग्न कर दी गयी है।
8	तकनीकी रिपोर्ट को उप वन संरक्षक, करौली द्वारा अधिप्रमाणित नहीं किया गया है।	तकनीकी रिपोर्ट को उप वन संरक्षक, करौली द्वारा अधिप्रमाणित कर दिया गया है।

अतः उक्तानुसार आक्षेप पूर्ति उपरांत उप वन संरक्षक, करौली के संदर्भित पत्र की प्रति संलग्न कर प्रकरण की तीन हार्ड प्रतियां अग्रिम कार्यवाही हेतु व ऑनलाईन प्रस्ताव प्रेषित है।
संलग्न :- उक्तानुसार तीन हार्ड प्रतियां।

भवदीय

21/10/22

(डॉ. सी.आर.मीणा)
वन संरक्षक, (एम.एण्ड.ई.)
भरतपुर